2018/00011

निर्णय
8/2/18

राजस्थान प्रपत्र

न्यायालय नायब तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर, जिला बीकानेर

सरकार .... बनाम श्री गजानन्द S/o नारायण जाति आरुवा
जा. इटां

किस्म मुकदमा — ~~आर.सी.ए. 1954 की धारा 22~~
एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 91

मुकदमा नम्बर 01/18 वर्ष 2018 फसल खरीफ

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	आदेशकी तामील
22/1/18	पटवारी हल्का ......कुण्डली...... की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीब की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी ने ग्राम/चक ......सहजरासर...... के खसरा नं./~~मुरब्बा~~ ......168...... तादादी ......0.16 बीघा...... बीघा राजकीय भूमि पर सम्वत ......2074...... में नाजायज कब्जा कर ~~काश्त~~ खड़ा कर ली। अप्रार्थी को धारा ~~22~~/91 के तहत नोटिस जारी किया जावे/~~एवं भू अभिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क कर~~ नीलाम हेतु ~~लिखा~~ जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक ......8/2/18...... को पेश हो।	गै. मु. पाबन्द 05 22/1/18
8/2/18	पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित गैर सायल ने उपस्थित होकर द्वारा कब्जा किये गये नाजायज को शामिल मिसल किया गया। उक्त प्रकरण पर निर्णय पृथक से लिखकर नाजायज शामिल मिसल किया गया।	गजानन्द पत्रावली के पेज 109 के उ.पि. 01 पर भोग नापस ली गयी TBA 12/4/18

Scanned by CamScanner

नायब

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व)लूनकरनसर

प्रकरण संख्या: 01 /2018 दिनांक: 8/2/18.

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का .... ने रिपोर्ट (पी–4) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल .... पुत्र .... जाति .... साकिन .... ने ग्राम .... के खसरा नं0 168 .... रकबा 0:16 .... बीघा जोहड़ पायतन, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में काश्त / बाड़ा / कच्चा / पक्का मकान निमार्ण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बधिंत गैर सायल का रा.भू.रा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबधिंत गैरसायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बधिंत गैर सायल .... पुत्र श्री .... जाति .... साकिन .... ग्राम .... खसरा नं0 168 रकबा 0:16 .... बीघा के अतिचार करने पर राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है तथा भू–राजस्व 0:40 .... का 50 गुणा रूपये 20/- .... शास्ति से दण्डित किया जाता हैं। तथा मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली बाबत संबधिंत गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूली बाबत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बाबत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18. .... को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व)
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner